आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 14/11** **राजेन्द्र सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 212 दिनांक 13.1.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (कार्यपालक दंडाधिकारी, मढ़ौरा एवं अंचलाधिकारी, मशरक) के द्वारा राजेन्द्र सिंह, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 58/07, ग्राम–बड़वाघाट, पंचायत–दुरगौली, थाना+प्रखंड–मशरक की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है: 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विकेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विकेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मॉगने पर भी विकेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विकेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विकेता के द्वारा सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3445 दिनांक 8.12.10 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि को विकेता	

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3442 दिनांक 8.12.10 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि को विक्रेता बी.पी. एल. के गेहूँ का उठाव करने के लिए मशरक गोदाम पर गए थे। इस तरह जॉच दल का जानबूझकर असहयोग नही किया गया, बल्कि संयोगवश हो गया। चूँकि दूकान की चाबी विक्रेता के पास थी, इसलिए उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे खोलकर दिखाना सभव नही हो सका। इनके द्वारा सभी सामग्रियो का नियमित रूप से सामग्रियों का वितरण किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं बरती जाती है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। यह उचित होता कि विक्रेता को उनकी दुकान से संबंधित पंजी एवं अन्य कागजात के साथ बुलाकर उनकी सुनवाई की जाती और यदि उनके कागजातों के संधारण में कोइ अनियमितता पायी जाती, तो आवश्यक कार्रवाई की जाती, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1055 दिनांक 13/12/14

प्रतिलिपि– SDO मढ़ौरा / DSO, NSC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
13/12/14